Class. B.Com II
Subject - M.F.I
Paper - IV (S)
Topic - SFCs
Lecture - 14
By Dr C P Sahu
Marwari College, DARBHANGA

राज्य वित्त निगमें :

राज्यकीय स्तर पर छोटे एवं मध्यम आकार के उद्योगों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने 28 दिसम्बर 1951 को राज्य अर्थ ~~प्रबन्ध~~ अधिनियम पास किया। जिससे राज्य में राज्य वित्त निगम स्थापित करने का अधिकार मिल गया। वर्तमान में देश के 18 राज्यों में राज्य वित्त निगम कार्यरत हैं।

राज्य वित्त निगम की पूँजी :- राज्य वित्त निगम अधिनियम के अन्तर्गत राज्य निगमों की अधिकृत पूँजी की न्यूनतम सीमा ~~दस~~ करोड़ रुपये निर्धारित की गयी जिसे अब 50 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा रहा है। निगम के अंश राज्य सरकार, रिजर्व बैंक, सहकारी बैंक, बीमा कम्पनी एवं और सरकारी संस्थाओं द्वारा क्रय किये जाते हैं। इन अंशों की गारन्टी राज्य सरकार द्वारा ~~की~~ दी जाती है। वित्त निगम अपने वित्तीय साधन बढ़ाने के लिए बॉन्डों तथा ऋणपत्रों द्वारा बिक्री करके करता है।

संशोधित अधिनियम के अनुसार किसी भी समय इन निगमों की कुल पूँजी में राज्य सरकार, सिडबी अन्य सरकारी ~~नियंत्रण~~ नियंत्रित संस्थाओं की भागीदारी मिलाकर 51 प्रतिशत से कम नहीं होगी। इसके ~~प्रारम्भिक~~ अधिकृत पूँजी ~~बढ़ाकर~~ अब 100 करोड़ तक बढ़ाने का विकल्प खुला रहने का भी प्रावधान है।

राज्य वित्त निगम स्थायी सम्पत्ति के जमानत पर स्थायी सम्पत्ति के मूल्य के 50% तक ऋण दे सकता है। संशोधित अधिनियम के अनुसार राज्य वित्त निगमों द्वारा कम्पनी एवं सहकारी समितियों को अधिकतम 60 लाख रुपये और साझेदारी एवं एकाकी व्यापार के लिए अधिकतम 30 लाख रुपये तक ऋण दे सकती है।

राज्य वित्त निगम के कार्य

① निगम औद्योगिक फर्मों को 20 वर्ष ~~के~~ तक की अवधि के लिए ऋण दिया जाता है।

(2) ऋण तथा पूँजी बाजार में जारी किये गये ऋणों की गारण्टी प्रदान करता है।

(3) निगम औद्योगिक संस्था के अंशों व ऋणपत्रों के अभिगोपन का कार्य करती है।

(4) निगम औद्योगिक फर्मों द्वारा जारी किए गये ऋण पत्रों को भी क्रय करता है।

(5) निगम राज्य सरकार एवं औद्योगिक वित्त निगम जैसी संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।

(6) राज्य वित्त निगमों को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से छोटी तथा लघु स्तर की औद्योगिक इकाई के लिए प्रदत्त सहायता के वितरण का कार्य भी सौंपा गया है।

भारत में राज्य वित्त निगमों का प्रबन्ध - प्रत्येक राज्य वित्त निगम का प्रबन्ध एक संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। जिसके सदस्य की संख्या 10 होती है। जिसमें राज्य सरकार द्वारा तीन संचालक की नियुक्ति की जाती है। एक प्रबन्ध संचालक भी राज्य सरकार द्वारा ही रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। औद्योगिक वित्त निगम, स्टेट बैंक, अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थाएँ एक एक संचालक नियुक्त करते हैं। संचालक मंडल को राज्य सरकार

एवं रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। (13)
संचालक मंडल के अलावा एक कार्यकारिणी समिति भी है जिसमें चार सदस्य होते हैं। इनमें से एक सदस्य प्रबन्ध संचालक होता है।

रिजर्व बैंक का योगदान - राज्य वित्त निगमों के संचालन में रिजर्व बैंक राज्य के वित्त निगमों एवं अन्य राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की गतिविधियों में समन्वय करने के अलावा निम्न योगदान देता है-

1. रिजर्व बैंक ने राज्यों के वित्त निगम की अंश पूंजी में पर्याप्त धन लगाया है।
2. निगम नये बॉण्ड जारी करते समय रिजर्व बैंक से परामर्श लेते हैं।
3. पूंजी विनियोग के विषय में रिजर्व बैंक इन निगमों को दिशा निर्देश देता है।
4. वार्षिक सम्मेलन कर रिजर्व बैंक इन निगमों में पारस्परिक सहयोग एवं समन्वय स्थापित करता है।
5. रिजर्व बैंक को राज्य निगमों के कार्यों का हिसाब-किताब का खाता निरीक्षण करने का अधिकार भी है।

Scanned with CamScanner

(4)

भारत में राज्य वित्त निगमें :- भारत में तत्काल 18 राज्य वित्त निगमें हैं! —

(1) असम वित्त निगम (2) बिहार राज्य वित्त निगम (3) आन्ध्र प्रदेश राज्य वित्त निगम (4) दिल्ली वित्त निगम (5) गुजरात राज्य वित्त निगम (6) हरियाणा वित्त निगम (7) हिमाचल प्रदेश वित्त निगम (8) जम्मू और कश्मीर राज्य वित्त निगम (9) कर्नाटक राज्य वित्त निगम (10) केरल वित्त निगम (11) मध्य प्रदेश वित्त निगम (12) महाराष्ट्र राज्य वित्त निगम (13) उड़ीसा राज्य वित्त निगम (14) पंजाब वित्त निगम (15) राजस्थान वित्त निगम (16) तमिलनाडु तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
(17) उत्तर प्रदेश वित्त निगम (18) पश्चिम बंगाल वित्त निगम

राज्य वित्त निगम के प्रगति :-

राज्य वित्त निगम लघु एवं माध्यम उद्योगों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है।

Scanned with CamScanner

राज्य वित्त निगम द्वारा स्वीकृत एवं वितरित ऋणों का विवरण:-

वर्ष	स्वीकृत राशि	वितरित राशि
1993-94	1908.8	1563.4
94-95	2702.4	1880.9
95-96	4188.5	2961.1
96-97	3544.8	2782.7
97-98	2626.1	2110.2
1998-~~1999~~	1864.2	1824.7
1999-2000	2237.8	1827.1
2000-01	2790.7	2008.1
01-02	2075.9	1762.5
02-03	1856.0	1454.0
2003-04	1134.0	857.0

स्रोत - आर्थिक समीक्षा - 2006-07

राज्य वित्त निगम द्वारा अधिकतम सहायता लघु उद्योगों में, जिनमें सड़क परिवहन सम्मिलित हैं, को दी गई है इन निगमों द्वारा विशेष पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक इकाई को रियायती दरों पर उदार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। राज्य वित्त निगम तकनीकी उद्यमियों को दिल खोलकर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

— X —

Scanned with CamScanner